हिमाचल प्रदेश (विधियों का विस्तार) अधिनियम, 1976

धाराओं का क्रम

धाराएं:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।
3. कुछ विधियों का अन्तरित राज्यक्षेत्र में विस्तार।
4. कुछ निर्देशों का अथन्वियत।
5. निरसन और व्यावृत्ति।
6. अनुसूची I या नियमों आदि में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के लागू किए जाने को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए न्यायालयों और अन्य प्राधिकरणों की शक्तियां।
7. नियम आदि बनाने को शक्ति का प्रभावित न होना।
8. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

अनुसूची–I ।

अनुसूची–II ।

———————————

हिमाचल प्रदेश (विधियों का विस्तार) अधिनियम, 1976

(1976 का 29)[1]

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 22 सितम्बर, 1993 को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 25 मार्च, 1994 को पृष्ठ संख्या 435 से 440 पर हिन्दी में प्रकाशित किया गया)

प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा लागू या प्रवृत्त कुछ विधियों का, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में विस्तार करने का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (विधियों का विस्तार) अधिनियम 1976 है।

2. **परिभाषाएं.**–इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,–

(क) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

———————————

1. **पाद टिप्पणी:**–चूँकि अधिनियम राजभाषा में 22 सितम्बर, 1993 को राज्यपाल महोदय द्वारा अधिप्रमाणित किया गया था इसलिए उद्देश्यों और कारणों का कथन उल्लिखित करना बांछनीय नहीं है इसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 25 मार्च, 1994 को पृष्ठ संख्या 435 से 440 पर प्रकाशित किया गया।

(ख) "पुरानें क्षेत्र" से प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में यथा समाविष्ट क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

(ग) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(घ) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और

(ड.) "अन्तरित राज्यक्षेत्र" से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो पंजाब पुर्नगठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए थे।

3. **कुछ विधियों का अन्तरित राज्यक्षेत्र में विस्तार.**—अनुसूची। में विनिर्दिष्ट, समय—समय पर यथा संशोधित, सभी अधिनियमितियां, जो पुरानें क्षेत्रों में लागू या प्रवृत्त हैं और तद्धीन बनाए गए सभी नियम, विनियम, अधिसूचनाऐं, आदेश और उपविधियां और जारी किए सभी निदेश या अनुदेश, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, एतद्द्वारा अन्तरित राज्यक्षेत्र में विस्तारित किए जाते हैं और प्रवृत्त होंगे।

4. **कुछ निर्देशों का अथन्वियत.**—धारा 3 में यथा निर्दिष्ट, अधिनियमितियों में या तद्धीन बनाए गए नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और जारी किए गए निदेशों या अनुदेशों के,—

(1) किसी ऐसी विधि के प्रति निर्देश का जो अन्तरित राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त नहीं है, ऐसे राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में, ऐसे राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के बारे में यदि कोई हो, वह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रति निर्देश हैं, और

(2) हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रति निर्देश का, शब्दों का रूप जो भी हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसमें अन्तरित राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश भी सम्मिलित हैं।

5. **निरसन और व्यावृत्ति.**—यदि, इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व अन्तरित राज्यक्षेत्रों में उन राज्यक्षेत्रों में धारा 3 के अधीन विस्तारित किसी अधिनियमिति या नियमों, विनियमों अधिसूचनाओं, आदेशों और बनाई गई उप—विधियों और तद्धीन जारी दिए गए निर्देशों या अनुदेशों के तत्स्थानी कोई विधि प्रवृत्त है, तो वह विधि अनुसूची (।। में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों सहित, इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाए, निरसित हो जाएगीः

परन्तु ऐसा निरसन,—

(क) इस प्रकार निरसित किसी विधि के पूर्व प्रवर्तन या सम्य रूप से तवधीन की गई या होने दी गई किसी बात, या

(ख) इस प्रकार निरसित किसी विधि के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, या

(ग) इस प्रकार निरसित किसी विधि के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के बारे में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड, या

(घ) यथा पूर्वोक्त ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को प्रभावित नहीं करेगा,

और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित, जारी या प्रवर्तित रखा जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, मानों यह अधिनियम पारित नहीं हुआ थाः

परन्तु यह और कि इस प्रकार निरसित किसी विधि के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, धारा 3 द्वारा अन्तरित राज्यक्षेत्रों को विस्तारित अधिनियमिति के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी और तद्नुसार प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि इस प्रकार विस्तारित अधिनियमिति के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अधिक्रान्त नहीं कर दी जाती है।

6. **अनुसूची। या नियमों आदि में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के लागू किए जाने को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए न्यायालयों और अन्य प्राधिकरणों की शक्तियां.**—अनुसूची। में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियमिति या धारा 3 में विनिर्दिष्ट किसी नियम, विनियम, अधिसूचना, आदेश, उप–विधि, निदेश या अनुदेश के अन्तरित राज्यक्षेत्रों में लागू किए जाने को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए, कोई न्यायालय या प्राधिकरण, जैसा सार को प्रभावित न करने वाले, ऐसे परिवर्तनों सहित, उस का ऐसे अर्थ लगा सकेगा जैसा न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के समक्ष विषय में इसे अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक या उचित हो।

7. **नियम आदि बनाने को शक्ति का प्रभावित न होना.**—इस अधिनियम की कोई भी बात अनुसूची। में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के अधीन प्रयोक्तव्य राज्य सरकार या किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी की, धारा 3 द्वारा अन्तरित राज्यक्षेत्रों को यथा वित्तारित नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, आदेशों और बनाई गई उप–विधियों और जारी किए गए निदेशों पर अनुदेशों में जोड़ने, संशोधित करने फैरफार या विखण्डित करने, शाक्ति को, प्रभावित नहीं करेगी।

8. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.**—यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के उपबन्धों को अन्तरित राज्यक्षेत्रों में, प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकेगी या ऐसे निर्देश दे सकेगी जो इससे, कठिनाई को दूर करने के लिए, आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

अनुसूची–।

(धारा 3 देखें)

क्रमांक	वर्ष	अधिनियम संख्या	अधिनियम का नाम
1	2	3	4
1.	1879	14	भाड़ा गाड़ी अधिनियम, 1879.
2.	1956	6	सिविल प्रक्रिया संहिता (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1956.
3.	1957	10	हिमाचल प्रदेश नौधार अधिनियम, 1958.

अनुसूची–।।

(धारा 5 देखें)

क्रमांक	वर्ष	अधिनियम संख्या	अधिनियम का नाम
1	2	3	4
1.	1878	17	उत्तरी भारत नौधार अधिनियम, 1878